कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385 **फैक्स/FAX:040-27817275**

Email: cda-secd@nic.in ii) secd-acsn-a@nic.in

का.आ.भाग-1 सं.20 दिनांक: 05 .12.2017

विषय: जी.एस.टी. को लागू करने के उपरांत वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण पुस्तिका 2014 हेतु वर्ग उपसर्ग कूट का आबंटन ।

* * * * * *

प्रभावी तारीख 01.07.2017 से जी.एस.टी. को लागू किए जाने के उपरांत, सेना, नौसेना, वायुसेना, डी.जी.क्यू.ए., डी.आर.डी.ओ., एम.ई.एस., एन.सी.सी. आदि को डी.जी.ओ.एफ. की आपूर्ति के लिए किए गए खर्च को सुसंगत कूट शीर्षों के अधीन संकलन करने हेतु मुख्यालय के दिनांक 23.11.2017 के पत्रांक A/B/1/13626/XXXI/LPF/21 के अधीन प्राप्त निदेशानुसर वर्गीकरण पुस्तिका के लिए वर्ग उपसर्ग कूटों को निम्नानुसर आबंटित किया गया है :

	वर्ग उपसर्ग कूट संख्या
प्रतिपूरक उपकर	17
आई.जी.एस.टी.	19
सी.जी.एस.टी.	20
एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी.	21

वर्गीकरण पुस्तिका (रक्षा सेवाएँ) के अनुलग्नक-सी में संशोधन की प्रति को आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न किया जाता है (अनुलग्नक-I) । इन वर्ग कूट शीर्षों को प्रभावी तारीख 01.12.2017 से लागू करें और इस परिपत्र/कार्यालय आदेश भाग-I के जारी करने से पूर्व संकलित खर्च को तदनुसार पुन:वर्गीकृत किया जाए और अगले महीने के संकलन में शामिल किया जाए ।

Sd xxxx
(टी. राम बाबू)
रक्षा लेखा नियंत्रक

मूलप्रति: A/II/13020/Vol- X

सेवा में
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
सभी उप कार्यालय

वर्गीकरण पुस्तिका में तदनुसार संशोधन कर लिया गया है, ऐसा सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाण-पत्र मुख्य कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(एस. वत्सला)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)